संख्या– 231/11–6–11–बीस एम(19)/2008

प्रेषक,

चन्द्रभानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनॉकः 20 मई, 2011

विषयः पुराने बंद पड़े व घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–1669/11–क0नि0–6–2004–बीस एम(36)/99, दिनॉक 03–09–2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन पुराने सिनेमा भवनों को तोड़कर सिनेमाहाल सहित व्यावसायिक काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की सुविधा दिये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश में न्यूनतम 300 आसन क्षमता का छविगृह बनाने की बाध्यता है। यह अनुभव किया जा रहा है कि बंद पड़े व घाटे में चल रहे छविगृहों को तोड़कर लघु क्षमता का सिनेमा हाल सहित व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाने की उपरोक्त नीति में सीटों की क्षमता की अनिवार्यता तथा छविगृह को तोड़े जाने के प्राविधान के कारण छविगृह स्वामी इस नीति की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इस कारण सिनेमा एसोसिएशनों द्वारा वर्तमान में संचालित तथा बंद पड़े छविगृहों को बिना पूर्णरूप से तोड़े आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर लघु क्षमता के सिनेमाहाल सहित व्यावसायिक गतिविधियॉ चलाने की अनुमति दी जाने की मॉग की जा रही है।

2. इस संबंध में यह पाया गया कि उक्त शासनादेश दिनॉक 03–09–2004 के अन्तर्गत न्यूनतम 300 सीट आसन क्षमता के सिनेमाहाल बनाने के प्रतिबंध को कुछ शिथिल कर बंद पड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर/रिमाडल कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी जाय तो बंद पड़े या घाटे में चल रहे सिनेमाहालों का व्यवसाय लाभप्रद हो सकता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि **सिनेमा भवन को बिना पूर्ण रूप से तोड़े** पुराने एवं घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित कर व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान कर दी जाये :

(1) रिमाडल/पुनर्संरचित छविगृह में **125 सीट से अधिक** आसन क्षमता का छविगृह बनाना अनिवार्य होगा।

(2) **रिमाडल/पुनर्संरचित छविगृह को जिला मजिस्ट्रेट (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा रिमाडल/ पुनर्संरचना के लिए प्रदान की गयी अनुमति की तिथि से रिमाडल/पुनर्संरचना हेतु 02 वर्ष का समय दिया जायेगा।** यदि इस अवधि में भी निर्माण पुनर्संरचना का कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो प्रथम 06 माह तक ₹ 10,000/– का विलम्ब शुल्क एवं द्वितीय या उसके आगे के प्रत्येक 06 माहों के लिए ₹ 25,000/– का विलम्ब शुल्क सिनेमा स्वामी से जमा कराकर ही फिल्म प्रदर्शन हेतु नियमानुसार लाईसेंस प्रदान किया जायेगा।

(3) पुनर्संरचित छविगृह में विकलांगों के लिये रैम्प, पीने के पानी तथा संकेतों की पृथक से व्यवस्था की जायेगी।

(4) पुनर्संरचित छविगृह में व्यावसायिक गतिविधियॉ **यथा–दुकानें, फूड कोर्ट, ए0टी0एम0, पार्लर, बैंकेट हाल आदि** प्रारम्भ करने की अनुमति तभी दी जायेगी जब सिनेमा स्वामी छविगृह में फिल्म का प्रदर्शन प्रारम्भ करें। **सिनेमा स्वामी को छविगृह में प्रथम प्रदर्शन के 05 वर्ष तक फिल्म प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा।**

(5) रिमाडल/पुनर्संरचना की अनुमति सिनेमा स्वामी को प्रदान करते समय सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति की ओर से प्रथम फिल्म प्रदर्शन से 05 वर्ष की अवधि तक अनिवार्य फिल्म प्रदर्शन हेतु संलग्न अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि इस अवधि के मध्य सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति द्वारा फिल्म प्रदर्शन बंद किया जाता है, तो सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति मनोरंजन कर विभाग के पक्ष में **₹ 10.00 (रूपये दस लाख)** की क्षतिपूर्ति अदा करेगा।

(6) इस प्रकार रिमाडल/पुनर्संरचित किसी छविगृह को किसी प्रकार की अनुदान योजना या उच्चीकरण योजना का लाभ देय नहीं होगा।

4. उक्त सिनेमागृह के रिमाडल/पुनर्संरचना की अनुमति **जिला मजिस्ट्रेट** के स्तर से प्रदान की जायेगी तथा पुराने सिनेमाभवन को तोड़कर सिनेमा हाल सहित व्यावसायिक काम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की सुविधा विषयक शासनादेश संख्या–1669/11– क0नि0–6–2004–बीस.एम.(36)/99, दिनॉक 03–09–2004 के शेष प्राविधान यथावत् रहेगें।

5. सिनेमाहाल को रिमाडल/पुनर्संरचना के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (यथास्थिति विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद्, नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र द्वारा) मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा, परन्तु छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित करने में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर–3.1.1 (क) में वर्णित कार्यो यथा–**दरवाजे या रोशनदान खोलना या बंद करना, आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजों का निर्माण, आन्तरिक विभाजन, पुनः फर्श निर्माण, पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर छत का निर्माण (परन्तु मेजनाइन तल की छत का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा) तथा बालकनी में पैरापेट का निर्माण एवं पोर्टिकों/पोर्च आदि** के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रिमाडल/पुनर्संरचना में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देयता नहीं होगी तथा 'अन्य देय शुल्कों की देयता' के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदक द्वारा नियमानुसार शुल्क (**मानचित्र शुल्क, निरीक्षण शुल्क, यथास्थिति, सुदृढ़ीकरण शुल्क/विकास शुल्क, अम्बार शुल्क आदि**) देय होंगे।

6. उक्त आदेश आवास विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

चन्द्रभानु
सचिव।

संख्या– 231 (1)/11–6–11, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर उ0प्र0।
5. उ0प्र0 आवास बंधु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

अनुबन्ध–पत्र

(रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर छविगृह स्वामी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक ..... को श्री .....
पुत्र श्री .....स्थायी निवासी ..... जो सम्प्रति .....
..... में निवास करता है (जिसे "आबद्ध" व्यक्ति कहा गया है) जिला मजिस्ट्रेट,...
..... (जिसे "जिला मजिस्ट्रेट" कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली,1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त छविगृह के मालिक के रूप में आबद्ध व्यक्ति श्री .....ने जनपद में स्थित.....
.(जिसे "आमोद" कहा गया है) के निमित्त शासनादेश संख्या ..... दिनांक .....
..... के अन्तर्गत अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1–(1) **आबद्ध व्यक्ति,** शासनादेश दिनांक ..... में उल्लिखित प्राविधानों, विहित प्रकिया एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का का पालन करेगा।

(2) आबद्ध व्यक्ति, अपने सिनेमागृह के रिमाडल/पुनर्संरचना, आन्तरिक परिवर्तन के उपरान्त कम से कम 05 वर्ष तक छविगृह में प्रदर्शन अनिवार्य रूप से करेगा तथा इस अवधि में भी पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की सख्या में कोई कमी नहीं करेगा। यदि 05 वर्ष से कम अवधि तक छविगृह में प्रदर्शन करता है अथवा मध्य में प्रदर्शन बन्द करता है, तो **सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति ₹ 10.00 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में विभाग के पक्ष में जमा करेगा।**

(4) आबद्ध व्यक्ति, सिनेमागृह के रिमाडल/पुनर्संरचना, आन्तरिक परिवर्तन में उससे संबधित नियमावली, अधिनियम, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एव विशिष्टियों का उल्लंघन नहीं करेगा ।

2– जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अधिकार का प्रयोग कर सकते है :

(1) पुनर्संरचित सिनेमागृह में प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से 05 वर्ष तक फिल्म प्रदर्शन न किये जाने अथवा फिल्म प्रदर्शनों में कमी किये जाने पर **सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति के विरूद्ध ₹ 10.00 लाख की क्षतिपूर्ति वसूल किये जाने हेतु** छविगृह स्वामी को आदेशित करना।

3– जिला मजिस्ट्रेट इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय/अधिरोपित धनराशि को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करना ।

4– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो।
"आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर **आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर**

निम्नलिखित दो गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1.....

2.....